मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 (फाल्गुन 13, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री -

(क) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2004-2005 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन; एवं

(ख) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगी.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र.-56-मा.-अ.2008, दिनांक 10 जनवरी, 2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ने का समर्थन मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में भाण्डेर नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मनोहरलाल राठौर, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बाईसवां, तेईसवां एवं चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम अजनार में विद्युत वोल्टेज की समस्या दूर कराये जाने,

(ख) ग्राम रसनौल में विद्युत समस्या दूर करने हेतु विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम रोडोंवाली माता का पुरा में बिजली एवं पानी की समस्या दूर कराये जाने,

(2) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य, नरसिंहगढ़-ब्यावरा राजमार्ग से भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के ग्राम रसूलिया पठार तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(3) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य, मन्दसौर जिले के -

(क) ग्राम दोरवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम दोबड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना-उज्जैन रोड में रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वन मंत्री का वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, दिनांक 18 जुलाई, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 337) एवं दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 65) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 2 मार्च, 2008